प्रकरण संख्या 10/2019 डूंगर व अन्य बनाम देवा व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.10.2024	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के खातेदारी की आराजी नंबर 381 व 5306/382 कुल किता 2 रकबा 0.12 हैक्टर भूमि ग्राम खेडा, तहसील गढ़ी में स्थित है, जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 जबरन अतिक्रमण कर मकान बनाने पर आमादा हैं। अतः प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 31.07.2019 को निर्णय पारित करते हुए वादी का वाद स्वीकार कर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा यह अपील दिनांक 20.09.2019 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1/1, 1/2 की ओर से अभिभाषक श्री मुकेश द्विवेदी उपस्थित हुए, जबकि अपीलान्टगण की ओर से अधिवक्ता श्री भूषण जैन उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय अपीलान्टगण को बिना सुने उनकी अनुपस्थिति में खातेदार अपीलान्ट संख्या 1 व 2 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी की है, जो विधि सम्मत नहीं है। वर्तमान खातेदार अपीलान्ट संख्या 3 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुना ही नहीं गया है। उक्त भूमि के संबंध में अपीलान्ट के पिता स्वर्गीय नाथा व रेस्पोन्डेन्ट देवा के बीच सहायक कलक्टर बांसवाड़ा में प्रकरण संख्या 20/74 दर्ज हुआ था, जिसमें आप न्यायालय द्वारा डिक्री जारी की गयी थी, जिसके विरूद्ध अपीलान्ट के पिता नाथा ने माननीय राजस्व मण्डल अमजेर में द्वितीय अपील पेश की थी जिसमें माननीय राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 02.08.2000 को यह निर्णय पारित किया कि उक्त वादग्रस्त सर्वे नंबरान में देवा द्वारा 45 गुणा 52 फिट में जो मकान बना है, उसी पर ही उसका कब्जा माना है, शेष भूमि पर अपीलान्ट के पिता नाथा का अधिकार मानते हुए डिक्री जारी की है, जिसकी पालना में नामान्तरकरण संख्या 1118 दिनांक 27.03.2018 स्वीकृत हुआ है, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए नामान्तरण के विरूद्ध	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:15:13 IST
Reason: SelfAttested

एकपक्षीय निर्णय व डिक्री पारित कर दी, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे।

उक्त बहस का खण्डन करते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अपीलान्टगण द्वारा माननीय राजस्व मण्डल का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है। रेस्पोन्डेन्ट/वादी रेकार्डेड खातेदार होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा जारी की गयी है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। जमाबन्दी संवत् 2072 से 2075 में आराजी नंबर 381 व 5306/382 कुल किता 2 रकबा 0.12 हैक्टर भूमि वादी/रेस्पोन्डेन्ट देवा के खातेदारी में दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी रेकार्डेड खातेदार की भूमि में प्रतिवादी/अपीलान्ट द्वारा मकान बनाया जाना मानते हुए उन्हें जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया है, किन्तु माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 02.08.2000 अनुसार देवा का कब्जा सिर्फ 45 गुणा 52 फिट भूमि पर माना है, शेष भूमि पर अधिकार अपीलान्ट के पिता नाथा का माना है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पालना में जो नामान्तरकरण संख्या 1118 दिनांक 27.03.2018 को स्वीकृत हुआ है, उसमें वादी/रेस्पोन्डेन्ट का सिर्फ 0.02 हैक्टर पर ही अधिकार माना गया है। उक्त तथ्य के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्टगण को बिना सुने उनके विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी कर दी है, जो हमारे द्वारा किये गये उक्त विवेचन की रोशनी में प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 68/2017 निर्णय एवं डिक्री 31.07.2019 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में उभयपक्षों को सुनकर एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर देकर साक्ष्यों के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 27.12.2024 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 28.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:45:13 IST
Reason: SelfAttested

(कीर्ति राठौड़)
[illegible] अधिकारी
राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर